4.5.18 पत्रावलीगत अ.-अनु./वकील प्रार्थी-
अ.-अनु. पत्रावली लोक अदालत में
पक्ष बयान में समझौ
हुआ: -
को बजरिये
को पेश हो

5.7.18

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़

पुनश्चय → इतना लिखने पर प्रार्थीयों के वकील हाजिर। अप्रार्थी के वकील हाजिर। सुना गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जोताया की जमाबंदी संवत् 2066-69 के खाता सं. नया-पुराना 554-471, 796-693 क्रमशः रामदेव, लाला पि० गोपी व मु. धापू बेवा गोपी सैन रावत साकिन वेह के नाम दर्ज है तथा हरि पुत्र हजारी पि०1/2 लाला पुत्र गोपी पि०1/3 व मु. धापू बेवा गोपी पि०1/6 दर्ज है।

प्रार्थीया गोपी की पुत्री है, ने निवेदन किया कि गोपी की मृत्यु हो चुकी है तथा राजस्व अधिकारियों के नाम कर दिया है। प्रतिपक्षीगण ने दिनांक 12.5.17 को प्रार्थीया को उसके हिस्से की आराजी के कब्जे कास्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं अतः उन्हें मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचंड किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी गोपी पुत्र भूरा रावत की खातेदारी की होने से वारीसांदी पैतृक सम्पत्ति होना पायी जाती है।

अतः प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगण के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचंड किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीयां के कब्जे कास्त, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद में तय होगा। पक्षकारगण अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले आम में सुनाया गया।

प्रधान
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner